न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी–गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : – डिक्री 36 सन् 2020

पंजीयन दिनांक :– 01.07.2020

1. लक्ष्मीलाल पिता छोटूलाल निवासी चिकसी तहसील व जिला चितौडगढ

–अपीलांट

विरूद्ध

1. जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
2. मु0 सज्जन विधवा अल्लानुर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
3. फारुख मोहम्मद पिता गनी मोहम्मद निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
4. इकबाल मोहम्मद पिता गनी मोहम्मद निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
5. खाजू खां पिता मोहम्मद उर्फ मेहबूब खां– मृतक के बजाय

   5/1. अफसार खां पिता खाजु खां निवासी मकान संख्या 37 के सामने भगवानपुरा, इन्द्रा कॉलोनी नीमच पोस्ट इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)

   5/2. मुबारिक खां पिता खाजु खां निवासी तेजाजी चौक के पास प्रतापनगर, तहसील व जिला चितौडगढ

   5/3. खेरोना पत्नी कदीर खां निवासी नया गांव तहसील जावद जिला नीमच

   5/4. जुबैदा पत्नी मेहमूद खां निवासी शास्त्री नगर भीलवाडा

   5/5. राबिया पत्नी मुबारिक खां निवासी सेंती हाउसिंग बोर्ड के पास तहसील व जिला चितौड़गढ

6. अब्दुल गफूर पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
7. लाल मोहम्मद पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
8. नन्ने खां पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
9. अयुब मोहम्मद पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
10. युसुफ मोहम्मद पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
11. रसुल खां पिता सुलतान खां – मृतक के बजाय

    11/1.अजीज खां पिता रसूल खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

    11/2. रफीम खां पिता रसूल खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

    11/3. मुन्नी पत्नी सलीम खां निवासी हरिपुरा (नावन खेड़ी) पोस्ट तडोली तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)

    11/4. बानू पत्नी जमाल खां निवासी सावा तहसील व जिला चितौड़गढ

12. मु0 चांदी विधवा अकबर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

13. अब्दुल रहमान पिता केसर खां - मृतक के बजाय

13/1. सद्दीक खां पिता अब्दुल रहमान निवासी तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/2. पप्पू उर्फ युसूफ खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर हालमुकाम शमशान के पास गांधीनगर तहसील व जिला चितौड़गढ

13/3. बाबू खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर हालमुकाम शमशान के पास गांधीनगर तहसील व जिला चितौड़गढ

13/4. शरीफ खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर हालमुकाम शमशान के पास गांधीनगर तहसील व जिला चितौड़गढ

13/5. मेहरून पत्नी कदीर खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/6 अजीज खां पिता कदीर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/7. शराफत पिता कदीर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/8. उल्फत पत्नी लियाकत खां निवासी भालोट पोस्ट खोडीप तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/9. सावनूर पत्नी वाहिद खां निवासी सावा तहसील व जिला चितौडगढ

14. चांद खां पिता केसर खां -मृतक के बजाय

14/1. सलीम खां पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/2. इकबाल मोहम्मद पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/3. बतुल पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/4. बीबी पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/5. मदीना पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/6. मुमताज पत्नी चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

15. इमतियाज बेगत पत्नी अब्दुल अजीज निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

16. भूमिधारी तहसीलदार चितौडगढ जिला चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चितौडगढ प्रकरण संख्या 06/2005 रेवेन्यू वाद अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.08.2007

वक्त बहस उपस्थितः-1. खूमराज कुमावत - अधिवक्ता अपीलान्ट

2. रमेशचन्द्र शर्मा - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4,6,7,14/1 व 15

3. पूरणमल स्वर्णकार- राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 16

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़

निर्णय

दिनांक :- 28.07.2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत ग्राम जैतपुरा की आराजी नम्बर 12 से 20 व आराजी नम्बर 23 से 25 कुल किता 12 कुल रकबा 9.31 हैक्टेयर की बंटवाडा, निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अन्य रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये गये जिस पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 12.06.2006 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये एवं प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में दिनांक 21.08.2007 को वादपत्र अन्तिम निर्णय व डिक्री कर दिया गया।

इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद कानून अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण के सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4,6,7,14/1 व 15 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, रेस्पोडेन्ट संख्या 5,8 से 13,14/2 से 14/6 बावजूद सूचना अनुपस्थित एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियम की गई।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट की तरफ से बताया गया कि वादग्रस्त आराजीयात में वादपत्र के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 2 से 7 का 1/9 हक हिस्सा निहित रहा था जिसे प्रतिवादी क्रमांक 2 से 7 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से दिनांक 24.03.2011 को रूकसाना बानू पत्नी रफीक मोहम्मद को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द कर दिया। रूकसाना द्वारा उक्त 1/9 हिस्सा अपीलांट को विक्रय किया जिसका नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 21.03.2012 को स्वीकृत कर अपीलांट के नाम दर्ज हो गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2007 को पारित निर्णय व डिक्री की इजराय हेतु तहसीलदार द्वारा अपीलांट का नाम वादग्रस्त आराजीयात के 1/9 हिस्से से हटाकर पूर्ववत प्रतिवादी क्रमांक 2 से 7 के नाम दर्ज कर दिया इसलिये न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री से अपीलांट के हित प्रभावित हुये है इसलिये अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2007 को निरस्त फरमाई जाकर प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम दर्ज 1/9 हक हिस्सा अपीलांट के

नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जाये। इसी के साथ उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी देरी से होने एवं हम पक्षकार नही होने से देरी के वाजिब कारण होने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय अधिनियम को स्वीकार कर विलम्ब को कण्डोन किया जाये एवं न्यायहित में आवश्यक होने से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार कर पक्षकार संयोजित किया जावें।

प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोर्डेट द्वारा बताया गया कि अपील अवधिपार है एवं लगभग 12 वर्ष बात प्रस्तुत की गई है अतः स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। वादी द्वारा 2004 में दावा पेश किया और न्यायालय द्वारा विधिवत निर्णय दिया गया है। मौके पर भी हम काबिज है अतः अपील लिमिटेशन के मुद्दे पर ही खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली सहित अपील के समस्त दस्तावेजों को अवलोकन किया। हमने पाया के अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2007 को पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 को अपील दर्ज करवाई है। यह अत्यन्त विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। यह एक सुस्थापित मान्यता है कि यदि प्रकरण गुणावगुण पर अत्यन्त मजबूत है तो विलम्ब को क्षम्य करने में उदारता बरती जा सकती है अतः पत्रावली को सर्वप्रथम गुणावगुण पर परीक्षण कर लेना उचित है। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2007 को निर्णय कर अन्तिम डिक्री पारित की गई जबकि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी दिनांक 27.07.2011 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की एवं नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 21.03.2012 से अपीलांट के नाम दर्ज हुई। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में दिनांक 21.08.2007 को अन्तिम डिक्री पारित की जा चुकी थी। उस समय अपीलांट का कोई हक वादग्रस्त आराजीयात में नहीं था। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी का 1/9 हिस्सा वर्ष 2011 में क्रय किया गया। अतः दिनांक 21.08.2007 के निर्णय से अपीलांट के प्रभावित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः प्रारम्भिक विवेचन में ही प्रकरण गुणावगुण पर अपीलांट के पक्ष में साबित नहीं हो रहा है अतः सर्वप्रथमम धारा 96 जा0दी0 व लिमिटेशन के प्रश्न पर विचार करना उचित है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात का 1/9 हक हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2007 को पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के पश्चात दिनांक 27.07.2011 को अपीलांट द्वारा क्रय किया गया है। अतः अपीलांट का वाद विचारण के दौरान कोई अधिकार उद्भूत नहीं हुआ इसलिये इस प्रकरण में भी पक्षकार (अपीलांट) संयोजित किया जाना उचित नहीं है अतः धारा 96 का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है। अपीलांट के अभाव में अपील स्वतः अबेट हो जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

अपील पत्रावली में संलग्न प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील को लगभग 12 वर्षो से अधिक समय विलम्ब से पेश करने के ठोस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समय अपीलांट पक्षकार भी नहीं थे और न ही उस समय अपीलांट का कोई अधिकार निहित था। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2007 को पारित निर्णय एवं अन्तिम डिक्री के समय अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात में कोई अधिकार नहीं रखता था। इनके द्वारा दिनांक 27.07.2011 को वादग्रस्त आराजीयात का हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया गया तो वैसे भी वादग्रस्त आराजीयात मे 4 वर्ष बाद हक हिस्से के अधिकारी बने तो 4 वर्षो के विलम्ब का काई भी कारण उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसी के साथ यदि किसी न्यायालय के अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित होने के पश्चात क्रय की भूमि पर कोई अधिकार बाद में उत्पन्न होता है तो अपीलांट सक्षम न्यायालय में इसे तय करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम सारहीन होने से निरस्त किये जाने का निर्णय किया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस न्यायिक नजीरे आर.आर.टी 2021(2) पेज 1503 सर्वोच्च न्यायालय, आर.आर.टी 2021(1) पेज 441 सर्वोच्च न्यायालय एवं आर.आर.टी 2019(2) पेज 1206 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर पेश की गई। उक्त नीजरों को अपील मेमों के कथनों के सन्दर्भ में परीक्षण करने पर पाया कि प्रस्तुत नजीरें इस प्रकरण की विषय वस्तु पर लागू नहीं होती है।

फलस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट संयोजित नहीं होने से अबेट होने एवं अपील म्याद अवधि में नहीं पाये जाने से अपील निरस्त की जाती है। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.07.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

28/07/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- गितेश श्री मालवीय, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 36/2020/डिक्री पंजीयन दिनांकः- 01.07.2020

1. लक्ष्मीलाल पिता छोटूलाल निवासी चिकसी तहसील व जिला चितौडगढ

-अपीलांट

बनाम

1. जाकिर हुसैन पिता अल्लानुर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
2. मु0 सज्जन विधवा अल्लानुर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
3. फारूख मोहम्मद पिता गनी मोहम्मद निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
4. इकबाल मोहम्मद पिता गनी मोहम्मद निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौड़गढ
5. खाजू खां पिता मोहम्मद उर्फ मेहबूब खां- मृतक के बजाय
   - 5/1. अफसार खां पिता खाजु खां निवासी मकान संख्या 37 के सामने भगवानपुरा, इन्द्रा कॉलोनी नीमच पोस्ट इन्द्रा कॉलोनी तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)
   - 5/2. मुबारिक खां पिता खाजु खां निवासी तेजाजी चौक के पास प्रतापनगर, तहसील व जिला चितौडगढ
   - 5/3. खेरोना पत्नी कदीर खां निवासी नया गांव तहसील जावद जिला नीमच
   - 5/4. जुबैदा पत्नी मेहमूद खां निवासी शास्त्री नगर भीलवाडा
   - 5/5. राबिया पत्नी मुबारिक खां निवासी सेंती हाउसिंग बोर्ड के पास तहसील व जिला चितौड़गढ
6. अब्दुल गफूर पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
7. लाल मोहम्मद पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
8. नन्ने खां पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
9. अयुब मोहम्मद पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
10. युसुफ मोहम्मद पिता अहमदनूर निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
11. रसुल खां पिता सुलतान खां - मृतक के बजाय
    - 11/1.अजीज खां पिता रसूल खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
    - 11/2. रफीम खां पिता रसूल खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
    - 11/3. मुन्नी पत्नी सलीम खां निवासी हरिपुरा (नावन खेड़ी) पोस्ट तडोली तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)
    - 11/4. बानू पत्नी जमाल खां निवासी सावा तहसील व जिला चितौड़गढ
12. मु0 चांदी विधवा अकबर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
13. अब्दुल रहमान पिता केसर खां - मृतक के बजाय
    - 13/1. सद्दीक खां पिता अब्दुल रहमान निवासी तहसील भदेसर जिला चितौडगढ
    - 13/2. पप्पू उर्फ युसूफ खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर हालमुकाम शमशान के पास गांधीनगर तहसील व जिला चितौड़गढ
    - 13/3. बाबू खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर हालमुकाम शमशान के पास गांधीनगर तहसील व जिला चितौड़गढ

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

13/4. शरीफ खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर हालमुकाम शमशान के पास गांधीनगर तहसील व जिला चितौड़गढ

13/5. मेहरून पत्नी कदीर खां पिता अब्दुल रहमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/6 अजीज खां पिता कदीर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/7. शराफत पिता कदीर खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/8. उल्फत पत्नी लियाकत खां निवासी भालोट पोस्ट खोडीप तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

13/9. सावनूर पत्नी वाहिद खां निवासी सावा तहसील व जिला चितौडगढ

14. चांद खां पिता केसर खां -मृतक के बजाय

14/1. सलीम खां पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/2. इकबाल मोहम्मद पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/3. बतुल पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/4. बीबी पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/5. मदीना पिता चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

14/6. मुमताज पत्नी चांद खां निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

15. इमतियाज बेगत पत्नी अब्दुल अजीज निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चितौडगढ

16. भूमिधारी तहसीलदार चितौडगढ जिला चितौड़गढ

-रेस्पोडेन्टगण

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चितौड़गढ प्रकरण संख्या 06/2005 निर्णय व डिकी दिनांक 21.08.2007 अन्तर्गत धारा 53,88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 28.07.2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता खूमराज कुमावत, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4, 6,7,14/1 व 15 की ओर से अधिवक्ता रमेशचन्द्र शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 16 की ओर से राजकीय अधिवक्ता पूरणमल स्वर्णकार की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि-

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट संयोजित नहीं होने से एवं अपील म्याद अवधि में नहीं पाये जाने से अपील निरस्त की जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है,..... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ..... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 28.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

28/07/2023.

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ